

अध्याय II: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

2.1 उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर की वसूली के माध्यम से अनुचित संवर्धन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में आंध्र प्रदेश में उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर का ₹262.60 करोड़ का संग्रहण किया और बाद में ₹262.60 करोड़ की कुल लगायी गयी शास्ति के प्रति, ₹65.65 करोड़ (25 प्रतिशत) का भुगतान करके तेलंगाना सरकार के साथ कानूनी मामले का निपटान किया। जिसके परिणामस्वरूप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹196.95 करोड़ का अनुचित संवर्धन हुआ।

आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 (एपीजीएसटी अधिनियम) के तहत टर्नओवर कर लगाने के लिए नई उप-धारा 5-ए (1-ए) से (1-सी) समाविष्ट की (30 नवंबर 2001 से प्रभावी)। उप-धारा 5-ए (1-ए) में यह अधिदेशित किया गया कि मौजूदा करों के अलावा प्रत्येक डीलर पेट्रोल और डीजल तेल के साथ-साथ में प्रत्येक रुपये पर दो पैसे की दर से टर्नओवर कर का भुगतान करेगा। हालांकि, कोई भी डीलर खरीदारों से टर्नओवर कर का संग्रहण करने का हकदार नहीं होगा और खरीदारों से टर्नओवर कर के संग्रहण पर क्रमशः उप-धारा 5-ए (1-बी) और उप-धारा 5-ए (1-सी) के अनुसार टर्नओवर कर के समकक्ष राशि की शास्ति लगेगी।

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने उपभोक्ताओं से आंध्र प्रदेश में अप्राप्य टर्नओवर कर के सम्बन्ध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संपर्क किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओएमसी को स्पष्ट किया (अगस्त 2002) कि इस कर से कम वसूली के कारण कोई क्षतिपूर्ति 31 मार्च 2002 के बाद देय नहीं होगी। हालांकि, ओएमसी आंध्र प्रदेश में मोटर स्पिरिट (एमएस) और हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) के खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपी) को उचित रूप से संशोधित करके अतिरिक्त लागत की वसूली कर सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से स्पष्टीकरण एपीजीएसटी अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने एमएस और एचएसडी के आरएसपी में इसे शामिल करके राज्य अधिभार के रूप में उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर की वसूली शुरू की जिससे 1 सितंबर 2002 से आरएसपी में वृद्धि हुई।

जीओएपी के वाणिज्यिक कर विभाग ने अधिनियम की उप धारा 5-ए (1-सी) के तहत, पूर्वोक्त एपीजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर की वसूली के लिए शास्ति लगाई और वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए क्रमशः मई 2006, जून 2007 और मई 2008 में कुल ₹262.60 करोड़¹ के लिए मांग की।

आईओसीएल ने इन मांगों के प्रति रिट याचिकाएं दायर की और वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश (मई 2006/ जून 2007/ मई 2008) प्राप्त किया। रिट याचिकाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था (2008)। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया (10 अक्टूबर 2012) और अपीलीय प्राधिकरण को निर्देश दिया कि यदि अपील को 30 दिनों के अंदर किया जाता है तो उन पर कार्रवाई करें। तदनुसार, 2002 से 2005 के लिए अपीलें प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के साथ दायर की गई थीं, (नवम्बर 2012), जिन्हें अपीलीय प्राधिकारी (नवम्बर 2013) के साथ-साथ अप्रैल 2014 में बिक्री कर अपीलीय अधिकरण (एसटीएटी) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि, आईओसीएल द्वारा दायर किए गए कर संशोधन मामलों (2014) को स्वीकार करते समय, माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय ने शास्ति के 10 प्रतिशत के भुगतान पर सशर्त रोक लगा दी (अगस्त 2014)। आईओसीएल ने उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया (सितंबर 2014)। तदनुसार, आईओसीएल ने 2014 में 10 प्रतिशत शास्ति² के प्रति ₹24.11 करोड़ का भुगतान किया। उच्च न्यायालय में दायर कर संशोधन के मामले 2020 तक लंबित रहे।

इस बीच, आईओसीएल को तेलंगाना सरकार³ (जीओटी) से न्यायालय के बाहर मामले के निपटान के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ (मार्च 2018)। बाद में आईओसीएल ने भारत के महाधिवक्ता से एक कानूनी राय ली (मई 2019) जिसने शास्ति की प्रमात्रा, विवाद के अधिक समय तक विलंबन और कानून के साथ साथ तथ्यों पर मामले की समग्र योग्यता के आधार पर न्यायालय के बाहर निपटान का विकल्प चुनने की सलाह दी। इसके बाद आपसी सहमति के साथ, जीओटी ने न्यायालय के बाहर निपटान को शुरू किया जिसके तहत आईओसीएल और जीओटी के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया (27 मार्च 2020)

¹ 2002-03 के लिए 31 मार्च 2006 को ₹52.17 करोड़, 2003-04 के लिए 31 मार्च 2007 को ₹93.43 करोड़, 2004-05 के लिए 31 मार्च 2008 को ₹95.45 करोड़ और 2003-04 के लिए 28 मार्च 2007 को ₹21.55 करोड़।

² मामला संयुक्त कमिश्नर (अपील) के समक्ष लंबित था इसलिए आईओसीएल के लिए कोई पूर्व जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

³ उत्तराधिकारी राज्य जिसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 50 के अनुसार इस तत्कालीन मामले में बकाया की वसूली करने का अधिकार है।

जिसमें आईओसीएल ने शास्ति की राशि का 25 प्रतिशत अर्थात ₹65.65 करोड़ का भुगतान करने और विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित सभी अपीलों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। बदले में जीओटी शेष शास्ति को माफ करने के लिए सहमत हो गया। तदनुसार, आईओसीएल ने ₹24.11 करोड़ की पूर्व-जमा को समायोजित करने के बाद ₹41.54 करोड़ का भुगतान किया (30 मार्च 2020)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईओसीएल द्वारा आंध्र प्रदेश के उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर का संग्रहण, जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भी सलाह दी गई थी, एपीजीएसटी अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में था जिसके परिणामस्वरूप ₹65.65 करोड़ की राशि की शास्ति का भुगतान किया गया और उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर की वसूली के माध्यम से आईओसीएल को ₹196.95 करोड़ का अनुचित संवर्धन हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2020) कि एपीजीएसटी अधिनियम की धारा 5-ए (1-सी) का उल्लंघन केवल तभी होगा जब आईओसीएल टर्नओवर कर के माध्यम से किसी राशि का संग्रहण करता है या क्रेताओं से टर्नओवर कर के माध्यम से होना अभिप्रेत हो। यहां तक कि यदि यह मान लिया जाता है कि यह राशि टर्नओवर कर के माध्यम से अभिप्रेत संग्रहण किया जाता है, तो भी इसे सूचित/निरूपित/व्यक्त/दर्शाया आदि से अवगत कराया जाना चाहिए। तत्कालीन मामले में ग्राहकों को बीजक दिए जाने पर कोई भी घटक मौजूद नहीं थे। 01 सितंबर, 2002 से आंध्र प्रदेश राज्य में राज्य विशिष्ट लागत/राज्य अधिभार के माध्यम से एमएस और एचएसडी की कीमत में वृद्धि इन उत्पादों की बिक्री पर राज्य में परिचालन की लागत को पूरा करने के लिए थी। कीमत में वृद्धि या कमी परिचालन की लागत की समीक्षा करने पर कारोबार/व्यापार में एक नियमित सुविधा है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2021) कि 01 दिसंबर 2001 से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा टर्नओवर कर की शुरुआत के साथ, टर्नओवर कर के प्रभाव को 01 सितंबर 2002 से अप्राप्य करों के लिए ओएमसी की क्षतिपूर्ति करने के लिए कीमत संशोधन में शामिल किया गया था। इस तरह के अप्राप्य राज्य उदग्रहण की अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए राज्य अधिभार को शामिल करना प्रबंधित कीमत तंत्र अवधि के दौरान लंबे समय तक व्यवहार में था और यह संबंधित राज्य के उपभोक्ता हैं जो ऐसे करों का भार वहन कर रहे हैं।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का स्पष्टीकरण आंध्र प्रदेश में एमएस/एचएसडी पर दो प्रतिशत की दर से अप्राप्य टर्नओवर कर की लागत की वसूली के लिए, उपभोक्ताओं की बिक्री मूल्य के माध्यम से संग्रहित किए गए राज्य अधिभार के रूप में, एपीजीएसटी अधिनियम का अधिकारातीत था। इसके अलावा, आईओसीएल के विरुद्ध मामला दर्ज करते समय अपीलीय प्राधिकारी और एसटीएटी दोनों ने पाया कि कीमत के भाग के रूप में टर्नओवर कर का संग्रहण उप-धारा 5-ए (1-बी) के

अनुसार अनुज्ञेय नहीं था, और इसमें एपीजीएसटी अधिनियम की उप-धारा 5-ए (1-सी) के तहत शास्ति लगायी गयी थी। इसके अलावा, जीओटी के साथ शास्ति के भुगतान का न्यायालय के बाहर निपटान से आंध्र प्रदेश राज्य में उपभोक्ताओं को ₹262.60 करोड़ के टर्नओवर कर के भार को स्थानांतरित करने में आईओसीएल की अनुचित कार्रवाई को भी प्रमाणित किया गया। मंत्रालय ने भी न्यायालय के बाहर निपटान के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव की स्वीकृति को उचित ठहराते हुए बताया कि अधिकरण का आदेश मांग के उदग्रहण के लिए कारण देते हुए एक सकारण आदेश है और यह अधिकरण की अभ्युक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए एक चुनौती होगी।

इस प्रकार, उपभोक्ताओं से ₹262.60 करोड़ के टर्नओवर कर का अवैध संग्रहण और ₹65.65 करोड़ की शास्ति की राशि को न्यायालय के बाहर समायोजित करने के बाद परिणामस्वरूप आईओसीएल को ₹196.95 करोड़ की सीमा तक अनुचित संवर्धन हुआ।

2.2 प्रदूषण मंजूरी की सांविधिक अपेक्षा का पालन न करने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ

पेट कोक बॉयलर को चालू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की सांविधिक अपेक्षा का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹120.38 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जबकि प्रतिवर्ष ₹79.40 करोड़ के लागत लाभ को भी छोड़ दिया गया।

संशोधित वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथा संशोधित, की धारा 21 के अनुसार यह अपेक्षित है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या परिचालन नहीं करेगा। इसके अलावा, असम सरकार ने 12 मई 1993 से वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 के तहत पूरे असम राज्य को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया। जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 में अन्य बातों के साथ साथ यह बताया गया है कि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्योग की स्थापना नहीं करेगा अथवा परिचालन या प्रक्रिया या किसी भी उपचार और निपटान प्रणाली या किसी भी विस्तार अथवा उसमें संवर्धन, स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा; जिससे सीवेज या ट्रेड के प्रवाह को किसी धारा या कुएं या सीवर या भूमि में प्रवाहित करने की संभावना है।

दो पुराने और तेल से चलने वाले अकुशल बॉयलरों को प्रतिस्थापित करने के लिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ने अपनी गुवाहाटी रिफाइनरी (रिफाइनरी) के लिए ₹132.58 करोड़ (मार्च 2018 को संशोधित करके ₹163.09 करोड़ किया गया) की अनुमानित

लागत पर एक पेटकोक फायर्ड बॉयलर (बॉयलर) की अधिप्राप्ति और स्थापित करने का निर्णय लिया (जून 2015)। नए बॉयलर से रिफाइनरी की विद्युत उत्पादन और भाप की लागत में प्रति वर्ष ₹79.40 करोड़ की कमी आने की उम्मीद थी।

बॉयलर को स्थापित करने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट को दिसंबर 2015 में अनुमोदित किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि बॉयलर के निर्माण/स्थापना से पहले संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने की सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। हालांकि, कंपनी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से ऐसी पूर्व सहमति के लिए आवेदन नहीं किया था और परियोजना का कार्य सितंबर 2016 में शुरू किया गया था। कंपनी ने अप्रैल 2018 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को 'स्थापित करने की सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र' के लिए आवेदन किया, जबकि परियोजना पहले ही 70-80 प्रतिशत की सीमा तक पूरी हो गई थी। इसके बाद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम ने तत्काल प्रभाव से बॉयलर परियोजना के सम्बन्ध में सभी गतिविधियों को रोकने के निर्देश के साथ कंपनी को कारण बताओ नोटिस दिया (अगस्त 2018)। कारण बताओ नोटिस में अन्य बातों के अलावा बताया गया कि कंपनी ने परियोजना कार्य के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से आवश्यक पूर्व सहमति प्राप्त नहीं की। चूंकि कंपनी को मार्च 2021 तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से सहमति प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के पूरा होने पर अनिश्चितता थी, कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी लेखा पुस्तकों में परियोजना पर आने वाली लागत के लिए ₹120.38 करोड़ का प्रावधान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी परियोजना के निर्माण से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से 'स्थापना की सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने की सांविधिक अपेक्षा से अवगत होने के बावजूद, कंपनी ने प्रमाण पत्र के बिना परियोजना शुरू की, जिसके कारण ₹120.38 करोड़ का व्यय पहले ही करने के बाद सभी परियोजना गतिविधियों को रोक दिया गया। इसके परिणामस्वरूप परियोजना पर किया गया ₹120.38 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया। इसके अलावा, बॉयलर के चालू न होने के कारण प्रति वर्ष ₹79.40 करोड़ का लागत लाभ भी छोड़ दिया गया था।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2021) कि कंपनी ने अगस्त 2016 में पर्यावरण मंजूरी देने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) को आवेदन किया और उसके बाद, एमओईएफ एंड सीसी के निर्देश पर उसने अप्रैल 2018 में सहमति देने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को आवेदन किया था। इसके अलावा, कंपनी ने उल्लेख किया कि उन्होंने फरवरी 2017 में स्थापित करने के लिए सहमति हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को सक्रिय रूप से आवेदन किया था। प्रबंधन ने यह भी बताया कि कंपनी ने अन्य फीडस्टॉक (100 प्रतिशत गैस/ईंधन तेल फायरिंग बॉयलर) के साथ बॉयलर

चलाने की संभावना का पता लगाने के लिए मेसर्स थरमैक्स बैबकॉक एंड विलकॉक्स सॉल्यूशंस को नियुक्त किया और मार्च 2021 में मसौदा व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्यावरण मंजूरी के लिए एमओईएफ एंड सीसी को कंपनी की प्रारंभिक धारणा (अगस्त 2016) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से अपेक्षित 'स्थापित करने की सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र' से बिल्कुल सम्बद्ध नहीं था, जो किसी भी परियोजना का निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक था, जिसमें सीवेज या ट्रेड प्रवाह को धारा या कुएं या सीवर या भूमि में प्रवाहित करने की संभावना थी। इसलिए, प्रबंधन का दावा, कि उन्होंने फरवरी 2017 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को स्थापित करने के लिए सहमति हेतु सक्रिय रूप से आवेदन किया था, एक पूर्व सक्रिय कार्रवाई नहीं थी क्योंकि उन्होंने परियोजना शुरू करने के पांच महीने बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से संपर्क किया था। इसके अलावा, थरमैक्स बैबकॉक एंड विलकॉक्स सॉल्यूशंस की मसौदा व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट में बॉयलर के रूपांतरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय और लागत का उल्लेख नहीं किया गया है जो भविष्य में परियोजना के पूरा होने और स्थायित्व को लेकर अनिश्चितता को इंगित करता है।

इस प्रकार, प्रबंधन द्वारा सांविधिक अपेक्षा का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप बॉयलर के चालू न होने के कारण प्रतिवर्ष ₹79.40 करोड़ के लागत लाभ को छोड़ने के अलावा, परियोजना पर किए गए ₹120.38 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

लेखापरीक्षा पैरा मई 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

2.3 नाफथा स्प्लिटर यूनिट के संस्थापन के प्रति निष्क्रिय निवेश

अनुचित उचित सावधानी बरतने के कारण ₹82.70 करोड़ मूल्य का नेफथा स्प्लिटर यूनिट प्लांट का निष्क्रिय रहना।

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (कंपनी) को 1999 में शुरू किया गया था जिसमें 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष कच्चे तेल को संसाधित करने की क्षमता थी और मुख्य उत्पादों में तरल पेट्रोलियम गैस, हाई स्पीड डीजल और सुपीरियर केरोसिन तेल आदि शामिल थे। कंपनी के मध्यस्थ उत्पादों में स्ट्रेट रन नेफथा, रीफार्मेट आदि शामिल थे। 2001 से 2006 के दौरान स्ट्रेट रन नेफथा का उत्पादन 1.44 से 2.06 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष के बीच हुआ। इसलिए, स्ट्रेट रन नेफथा का एकत्र होना एक समस्या बन गया। कंपनी ने निर्यात

करके या घरेलू बिक्री के माध्यम से इस संचित स्ट्रेट रन नेफथा को खाली करने की कोशिश की। हल्दिया से स्ट्रेट रन नेफथा के निर्यात ने उच्च परिवहन लागत के कारण उत्पाद निवल बिक्री प्राप्त को प्रभावित किया। इसलिए, स्ट्रेट रन नेफथा का निर्यात एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था।

कंपनी ने स्ट्रेट रन नेफथा के एकत्र होने की समस्या को हल करने के लिए दो अन्य विकल्पों की परिकल्पना की, अर्थात् मोटर स्पिरिट का उत्पादन करने के लिए स्ट्रेट रन नेफथा का उपयोग करने हेतु मोटर स्पिरिट प्लांट (2002) की स्थापना करना और स्ट्रेट रन नेफथा से पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा का उत्पादन करने के लिए नेफथा स्प्लिटर यूनिट (2004) की स्थापना करना। मोटर स्पिरिट प्लांट की स्थापना एक आकर्षक विकल्प था क्योंकि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी रिफाइनरियां⁴ मोटर स्पिरिट के उत्पादन पर देय लागू उत्पाद शुल्क⁵ के केवल 50 प्रतिशत की दर पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए पात्र थीं। इसलिए जुलाई 2006 में 2.25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता का मोटर स्पिरिट प्लांट चालू किया गया। मोटर स्पिरिट प्लांट के चालू होने और स्थिरीकरण के बाद मोटर स्पिरिट के उत्पादन के लिए स्ट्रेट रन नेफथा का उपयोग 2006-07 से 2014-15 के दौरान 1.10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर 3.11 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गया। परिणामस्वरूप, स्ट्रेट रन नेफथा का एकत्र होना काफी कम हो गया।

इसी बीच कंपनी ने पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा की प्रति वर्ष 1.60 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति के लिए ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड के साथ इसके चालू होने की तिथि से 15 वर्ष के लिए एक करार किया (जून 2010)। करार के अनुसार, कम आपूर्ति के मामले में, कंपनी अन्य स्रोतों से इसे इंतजाम करने के लिए पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा की संविदात्मक कीमत के अलावा ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त कीमत की प्रतिपूर्ति करेगी।

कंपनी ने ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए स्ट्रेट रन नेफथा को पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा में रूपांतरित करने के लिए नवंबर 2013 में ₹82.70 करोड़ की लागत पर नेफथा स्प्लिटर यूनिट को चालू किया। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड का वाणिज्यिक परिचालन जनवरी 2016 में, अर्थात् नेफथा स्प्लिटर यूनिट के चालू होने के दो वर्ष और तीन महीने बाद शुरू हुआ।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को पाया:

⁴ डिगबोई रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी, बॉंगईगांव रिफाइनरी और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

⁵ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 13 मई 2002

- कंपनी को 1 मीट्रिक टन पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा के उत्पादन करने के लिए लगभग दो गुनी मात्रा 1.81 मीट्रिक टन स्ट्रेट रन नेफथा की आवश्यकता थी। मोटर स्पिरिट प्लांट के चालू होने के कारण, 2007-08 से 2017-18 के दौरान उपलब्ध अधिकतम अधिशेष स्ट्रेट रन नेफथा 52,000 मीट्रिक टन (2013-14) में था। चूंकि पर्याप्त स्ट्रेट रन नेफथा अब उपलब्ध नहीं था, इसलिए पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा के प्रति वर्ष 1.6 लाख मीट्रिक टन की प्रतिबद्ध आपूर्ति के लिए ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलीमर लिमिटेड के साथ कंपनी का करार आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण नहीं था।
- उपरोक्त की पुष्टि नवंबर 2013 में नेफथा स्पलिटर यूनिट के चालू होने के बाद वास्तविक निष्पादन से होती है। कंपनी वर्ष 2013-14 (नवंबर 2013 से), 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः केवल 19.5 मीट्रिक टन, 53.6 मीट्रिक टन, 12.1 मीट्रिक टन और 15.8 मीट्रिक टन पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा का उत्पादन कर सकी और क्षमता उपयोग 7.56 प्रतिशत और 33.5 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान नेफथा स्पलिटर यूनिट निष्क्रिय रही।
- नेफथा स्पलिटर यूनिट के कम उपयोग के कारण ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलीमर लिमिटेड को पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा की निर्धारित मात्रा की कंपनी आपूर्ति नहीं कर सकी।
- ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलीमर लिमिटेड को पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा की कम आपूर्ति के कारण कंपनी ने संविदागत और वास्तविक कीमत के बीच विभेदक कीमत पर ₹163.77 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

इस प्रकार, उचित सावधानी के अभाव के कारण ₹82.70 करोड़ के नेफथा स्पलिटर यूनिट प्लांट को स्थापित करने में निष्क्रिय निवेश हुआ।

लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति कि नेफथा स्पलिटर यूनिट निष्क्रिय रहा, को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2020) कि नेफथा स्पलिटर यूनिट को स्थापित करने के संबंध में ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलीमर लिमिटेड को पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा की सुनिश्चित आपूर्ति और अधिशेष स्ट्रेट रन नेफथा को खाली करने के लिए निर्णय लिया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि भविष्य में नेफथा स्पलिटर यूनिट का उपयोग किया जा सकता है।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने 2006-07 में स्ट्रेट रन नेफथा को खाली करने की समस्या को हल करने के लिए पहले ही मोटर स्पिरिट प्लांट स्थापित किया था। इसके अलावा, मोटर स्पिरिट उत्पादन में स्ट्रेट रन नेफथा के उपयोग से पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा के उत्पादन की तुलना में बेहतर मार्जिन मिला। इसके अलावा, प्रबंधन का यह तर्क कि भविष्य में नेफथा स्पलिटर यूनिट का उपयोग किया जा सकता है, व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 2017-18 स्पलिटर से लगातार परिचालन न करने के कारण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नेफ्था स्पलिटर यूनिट को इमपैयरड किया। स्ट्रेट रन नेफ्था को खरीदकर भविष्य में नेफ्था स्पलिटर यूनिट के परिचालन की व्यवहार्यता भी कम है क्योंकि बाह्य स्रोत से प्राप्त स्ट्रेट रन नेफ्था (2019-20 में ₹46,240 प्रति मीट्रिक टन) की लागत पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफ्था (2019-20 में ₹35,352 प्रति मीट्रिक टन) की बिक्री कीमत से अधिक थी।

इस प्रकार, नेफ्था स्पलिटर यूनिट की स्थापना के संबंध में प्रबंधन की ओर से विवेक की कमी के कारण ₹82.70 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ जनवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

2.4 उच्च दबाव गैस के प्रज्वलन के कारण हानि

2012-13 से 2019-20 के दौरान ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के मुंबई हाई फील्ड में ₹816.08 करोड़ मूल्य की उच्च दबाव गैस, स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कंप्रेसरों की अनुपलब्धता, पावर शट डाउन और प्रोसेस गैस कंप्रेसर के बार-बार ट्रिपिंग के कारण प्रज्वलित हो गई थी।

मुंबई हाईफील्ड मुख्य रूप से एक तेल क्षेत्र है और कच्चे तेल के साथ उत्पादित गैस को एसोसिएटिड गैस कहा जाता है। कुंए के तरल का तेल, जल और गैस का विभाजन मुंबई हाई फील्ड के विभिन्न प्रक्रिया प्लेटफार्मों पर तीन चरणों अर्थात् उच्च दबाव विभाजक, कम दबाव विभाजक और सर्ज टैंकों में किया जाता है। उच्च दबाव पर उच्च दबाव विभाजक से बाहर आ रही गैस उच्च दबाव गैस के रूप में जानी जाती है। उच्च दबाव विभाजक में विभाजन के बाद कुंए के तरल को कम दबाव विभाजक के लिए भेजा जाता है, जहां शेष गैस, जोकि कम दबाव की होती है, विभाजित हो जाती है। उच्च दबाव विभाजक से बाहर आ रही उच्च दबाव गैस आगे प्रोसेस गैस कंप्रेसर में संकुचित की जाती है और गैस को उठाने के उद्देश्य के लिए कुओं में भरी जाती है और शेष गैस को आगामी प्रसंस्करण और उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए उरान में स्थित ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के तेल और गैस प्रसंस्करण संयंत्र के लिए ले जाया जाता है।

पावर शटडाउन, प्रोसेस गैस कंप्रेसर की ट्रिपिंग, प्रोसेस विचलित होने आदि, के कारण दबाव में किसी भी प्रकार की बाधा, प्रोसेस गैस कंप्रेसर में इनबिल्ट सुरक्षा तंत्र के कारण मूल्यवान

उच्च दबाव गैस प्रज्ज्वलित⁶ होती है। इस प्रकार, गैस उत्पादन को अधिकतम करने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी उपकरणों का रखरखाव किया जाए और प्रभावी ढंग से चलाया जाए ताकि उत्पादन की कोई हानि न हो। गैस के प्रज्ज्वलन का पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ग्रीनहाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। 2012-13 से 2019-20 के दौरान ₹1,021.08 करोड़ मूल्य की कुल 1,227.343 एमएमएससीएम (मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) उच्च दबाव गैस प्रज्ज्वलित हो गई थी। परिहार्य कारणों जैसे स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कंप्रेसर की अनुपलब्धता, पावर शटडाउन और प्रोसेस गैस कंप्रेसर की ट्रिपिंग के कारण प्रज्ज्वलित उच्च दबाव गैस का मूल्य ₹816.08 करोड़ था (अनुलग्नक-1)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-13 से 2019-20 के दौरान ₹816.08 करोड़ की 980.523 एमएमएससीएम उच्च दबाव गैस निम्नलिखित के कारण प्रज्ज्वलित हो गई थी:

- i) पावर शटडाउन: विद्युत की आपूर्ति प्रोसेस गैस कंप्रेसर के नियंत्रण पैनलों के परिचालन के लिए आवश्यक है। 2012-13 से 2019-20 के दौरान पावर शटडाउन होने के 62 उदाहरण थे। यह इस तथ्य के कारण था कि प्रोसेस प्लेटफार्मों पर बैटरी बैंक्स 26 वर्ष पुराने थे और वे पावर शटडाउन होने के दौरान पर्याप्त बैकअप प्रदान नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, प्रोसेस गैस कंप्रेसर के नियंत्रण पैनलों का परिचालन नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप गैस प्रज्ज्वलित हो गई।
- ii) स्टैंडबाई प्रोसेस गैस कंप्रेसर की अनुपलब्धता: 29 प्रोसेस गैस कंप्रेसर में से पांच को प्रोसेस गैस कंप्रेसर के रखरखाव/ पूर्ण मरम्मत/ ब्रेकडाउन के दौरान उपयोग के लिए स्टैंडबाय के रूप में रखा जाना था। हालांकि, परिचालन समस्याओं के कारण, सभी 29 प्रोसेस गैस कंप्रेसर चलाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, नियमित रखरखाव/ प्लेटफार्म पर निरीक्षण कार्य और प्रोसेस गैस कंप्रेसर की पूर्ण मरम्मत के दौरान स्टैंडबाई प्रोसेस गैस कंप्रेसर की अनुपलब्धता के कारण गैस को प्रज्ज्वलित होना पड़ा। 2012-13 से 2018-19 के दौरान, 302 घटनाएं हुईं जहां स्टैंडबाई प्रोसेस गैस कंप्रेसर की अनुपलब्धता के कारण गैस प्रज्ज्वलित हो गई। 2019-20 में, सात प्रोसेस गैस कंप्रेसर एक महीने से अधिक समय से उपलब्ध नहीं थे और कोई स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कंप्रेसर नहीं था।

⁶ प्रोसेस गैस कंप्रेसर की ट्रिपिंग की स्थिति में, उच्च दबाव विभाजक से बाहर आने वाली उच्च दबाव गैस प्रोसेस गैस कंप्रेसर को बाईपास करती है और प्रणाली में अंतर्निर्मित सुरक्षा तंत्र के कारण स्वचालित रूप से प्रज्ज्वलित हो जाती है।

iii) ट्रिपिंग: प्रोसेस गैस कंप्रेसर की लगातार ट्रिपिंग के कारण 196.947 एमएमएससीएम हाई प्रेशर गैस की कुल मात्रा प्रज्वलित हो गई। 'शून्य ट्रिपिंग' को बनाए रखने के लिए ओएनजीसी के अपतटीय रखरखाव समूह की दृष्टि के प्रति, 2012-13 से 2019-20 के दौरान प्रोसेस गैस कंप्रेसर की ट्रिपिंग के 2,534 उदाहरण थे। लगातार ट्रिपिंग निम्नलिखित के कारण थी:

- मुंबई हाई परिसंपत्ति में 29 प्रोसेस गैस कंप्रेसर⁷ हैं जिनमें से 22, 15 से 36 वर्ष पुराने थे। पावर टरबाइन, कंप्रेसर, गैस जनरेटर जैसे प्रोसेस गैस कंप्रेसर के मुख्य घटकों को मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा यथा निर्धारित अंतराल पर पूर्ण मरम्मत किया जाना आवश्यक है। विद्युत टरबाइन की 1,00,000 घंटे के बाद और कंप्रेसर की 50,000 घंटे के बाद पूर्ण मरम्मत की आवश्यकता होती है। प्रोसेस गैस कंप्रेसर के इन घटकों की पूर्ण मरम्मत करने में विलंब हुआ है। 16 प्रोसेस गैस कंप्रेसर के पावर टरबाइन और कंप्रेसर के कार्य घंटे निर्धारित घंटों से काफी अधिक थे (*अनुलग्नक-1*)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान, पावर टरबाइन से संबंधित मुद्दों के कारण ट्रिपिंग के 160 मामले⁸ थे और कंप्रेसर से संबंधित मुद्दों के कारण ट्रिपिंग के 360 मामले थे।

- गैस जनरेटर की 24,000 घंटे के बाद पूर्ण मरम्मत की जानी है और एक बार उनके विफल होने या पूर्ण मरम्मत के देय होने के बाद तत्काल प्रतिस्थापन के लिए उचित ध्यान और प्राथमिकता दी जानी होती है क्योंकि वे लगातार पूरा भार उठा रहे हैं। 2014-15 से 2019-20 के दौरान गैस जनरेटर से संबंधित मुद्दों के कारण ट्रिपिंग के 286 मामले सामने आए थे।

- प्रोसेस गैस कंप्रेसर की 'नियंत्रण प्रणाली' को 10 वर्ष बाद प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। 21 प्रोसेस गैस कंप्रेसर में से जिसमें कंट्रोल सिस्टम को प्रतिस्थापित/ अपग्रेड करना अपेक्षित था, मार्च 2021 के अंत में केवल नौ प्रोसेस गैस कंप्रेसर में नियंत्रण प्रणाली को प्रतिस्थापित किया गया था। दो वर्ष की अवधि अर्थात् 2018-19 से 2019-20 में नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित मुद्दों के कारण ट्रिपिंग के 163 मामले⁹ थे।

सितंबर 2012 में, मूल उपकरण विनिर्माता ने 24 प्रोसेस गैस कंप्रेसर की पूर्ण जांच की थी। मूल उपकरण विनिर्माता ने पाया कि 'गैस प्रवाह मार्ग' कंप्रेसर के क्षय के कारण घिस गया था जो लगभग 25 वर्षों से काम कर रहा था। इसलिए, मूल उपकरण विनिर्माता ने

⁷ 1983-1990 के वर्षों के बीच 11 प्रोसेस गैस कंप्रेसर, 1994 में 10 प्रोसेस गैस कंप्रेसर, 2004 में एक प्रोसेस गैस कंप्रेसर और 2009 और 2015 के बीच सात प्रोसेस गैस कंप्रेसर स्थापित किए गए थे।

⁸ प्रबंधन के अनुसार, 2012-2013 और 2013-2014 के लिए ट्रिपिंग डेटा उपलब्ध नहीं था।

⁹ पूर्व के वर्षों के लिए ब्यौरा प्रबंधन के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसे इन्स्ट्रुमेंटेशन के तहत मिला दिया गया था।

सुरक्षित और किफायती संचालन के लिए नौ प्रोसेस गैस कंप्रेसर की पूर्ण मरम्मत की सिफारिश की। तथापि ओएनजीसी ने केवल जनवरी 2016 में अर्थात् तीन साल से अधिक बाद 'रोटर्स' और 'असेंबली' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और सामग्री जून 2018 और मार्च 2019 में पहुँचाई गई थी। केवल दो प्रोसेस गैस कंप्रेसर में पूर्ण मरम्मत की गई थी (दिसंबर 2019) और सात प्रोसेस गैस कंप्रेसर में शेष कार्य 2021-22 में किए जाने का प्रस्ताव है। सितंबर 2020 तक, 21 प्रोसेस गैस कंप्रेसर 25 साल से अधिक पुराने थे।

इस प्रकार, स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कंप्रेसरों की अनुपलब्धता, पावर शटडाउन और प्रोसेस गैस कंप्रेसरों की बार-बार ट्रिपिंग के कारण, 2012-13 से 2019-20 की अवधि के दौरान ओएनजीसी के मुंबई हाई फील्ड में ₹816.08 करोड़ मूल्य की उच्च दबाव गैस प्रज्ज्वलित की गई।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (जून 2020) कि:

- अपतट पर समग्र प्रज्ज्वलन में तकनीकी प्रज्ज्वलन शामिल है जो एक सुरक्षा आवश्यकता है। स्थापना के आसपास संभावित अग्नि विस्फोट के खतरे को टालने के लिए वातावरण में अधजले हाइड्रोकार्बन से बचने के लिए तकनीकी प्रज्ज्वलन की आवश्यकता है।
- अपरिहार्य प्रज्ज्वलन अनुसूचित रखरखाव या प्रोसेस गैस कंप्रेसर और टरबाइन जनरेटर जैसे उपकरणों की ट्रिपिंग के दौरान होता है और अनियोजित प्रोसेस विचलित होने के दौरान भी होता है।
- 2013-14 से 2015-16 के दौरान गैस जनरेटर की पूर्ण मरम्मत प्रभावित रही क्योंकि रोल्स रॉयस के साथ कारोबार लेनदेन को रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार रोकना पड़ा।
- पूर्ण मरम्मत के लिए देय 15 विद्युत टरबाइनों में से चार का कार्य पूर्ण कर लिया गया था, एक का निष्पादन चल रहा था और शेष 10 को मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 21 कंप्रेसरों में से छह का कार्य पूर्ण हो गया था और शेष 15 का मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा।
- छह प्रोसेस गैस कंप्रेसर की नियंत्रण प्रणाली को अपग्रेड किया गया है, तीन प्रणालियों को प्रतिस्थापित किया गया है और तीन कार्यान्वयन के अधीन है जिन्हें दिसंबर 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। शेष नौ प्रणालियों के लिए आदेश मार्च 2021 तक दिया जाएगा।
- उन मामलों में, जहां घटकों की एक ही समय में पूर्ण मरम्मत करना देय होता जा रहा है वहां उपकरणों की डाउनटाइम कम करने के लिए उनकी पूर्ण मरम्मत एक साथ की जाती है।

- इस प्रकार कंप्रेसर की आयु का वैसे उसके निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है क्योंकि प्रत्येक पूर्ण मरम्मत के बाद जोकि शून्य-घंटे की पूर्ण मरम्मत है, सेवा की विश्वसनीयता तब तक सुनिश्चित की जाती है जब तक कि मूल उपकरण विनिर्माता आगामी पूर्ण मरम्मत की सिफारिश नहीं करता है।
- नियमित रखरखाव/मुख्य ब्रेक डाउन/निरीक्षण/इंजन प्रतिस्थापन/पूर्ण मरम्मतकार्य के कारण आवश्यक प्रोसेस गैस कंप्रेसर की अनुपलब्धता के मामले में, मुक्त गैस कुओं को बंद करके और गैस को अन्य प्लेटफार्मों पर विपथित करके प्रज्ज्वलन की न्यूनतम संभव मात्रा में नियंत्रित किया जाता है।
- नियमित रखरखाव के भाग के रूप में बैटरी बैंकों पर आवधिक क्षमता परीक्षण किए जाते हैं और 2012-13 से 2018-19 की अवधि के दौरान यूपीएस, बैटरी चार्जर और बैटरी बैंकों के परीक्षण परिणाम के आधार पर शर्त आधारित प्रतिस्थापन किए गए थे।

मंत्रालय के उत्तर पर निम्नलिखित के मद्देनजर विचार किए जाने की आवश्यकता है:

- ओएनजीसी के आंतरिक लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया गया था (दिसम्बर 2020) कि कुछ मात्रा में कम दबाव गैस को प्रज्ज्वलित किया जाना अपेक्षित है, जिसे तकनीकी प्रज्ज्वलन कहा जाता है। हमने उच्च दबाव गैस की प्रज्ज्वलन पर टिप्पणी की है, जिसे प्रज्ज्वलित नहीं किया जाना है।
- रखरखाव गतिविधि के दौरान, स्टैंडबाई प्रोसेस गैस कंप्रेसर को परिचालन में रखना आवश्यक है। हालांकि, क्योंकि वहां कोई स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कंप्रेसर नहीं था, जिससे गैस को प्रज्ज्वलित किया जा रहा था।
- मार्च 2021 तक, 13 प्रोसेस गैस कंप्रेसर के संबंध में आठ पावर टर्बाइनों और 11 कंप्रेसरों की पूर्ण मरम्मत लंबित थी।
- फ्लोट्स पर ओएनजीसी नीति के अनुसार, प्रत्येक प्लेटफार्म पर फ्लोट के रूप में गैस जनरेटर की एक इकाई होनी चाहिए क्योंकि ब्रेकडाउन पर उपकरण को तुरंत सर्विस करने की आवश्यकता होती है। हालांकि ओएनजीसी के पास गैस जनरेटर के लिए कोई फ्लोट नहीं था।
- वर्ष 2000 में 21 प्रोसेस गैस कंप्रेसर की नियंत्रण प्रणाली को अपग्रेड/प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक था। मार्च 2021 तक, केवल नौ प्रोसेस गैस कंप्रेसर की नियंत्रण प्रणाली को अपग्रेड/प्रतिस्थापित किया गया है।

- सुचारु और परेशानी मुक्त परिचालन के लिए जब भी पूर्ण मरम्मत देय हो इसे किए जाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ओवरहालिंग की लागत भी चलने वाले घंटों में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है।
- 'शून्य ट्रिप्स' के प्रबंधन के दृष्टिकोण पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किए जाने की आवश्यकता है कि गैस प्रज्ज्वलन कमी परियोजना के लिए परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (विश्व बैंक से सहायता के साथ-रिपोर्ट संख्या 18463) में बताया गया कि कंपनी ने 1993-94 से प्रज्ज्वलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है और कम दबाव वाली टेल गैस जैसे तकनीकी कारणों को छोड़कर और अधिक प्रज्ज्वलन नहीं होगा।
- कंप्रेसर की उम्र का निष्पादन पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, एनक्यूजी प्रोसेस गैस कंप्रेसर सी (1986 में स्थापित) के मामले में, फरवरी 2017 में ₹85.44 करोड़ का व्यय करते हुए मुख्य मरम्मत की गई थी। हालांकि, 2017-18 से 2018-19 के दौरान, प्रोसेस गैस कंप्रेसर, पावर टरबाइन, गैस जनरेटर और कंप्रेसर से संबंधित विभिन्न मुद्दों के कारण 30 से अधिक बार ट्रिप हो गया था।
- मुंबई हाई फील्ड एक तेल क्षेत्र है जिसमें तेल कुओं से उत्पादन होता है और संबद्ध गैस प्रज्ज्वलित होती रहती है।

इस प्रकार, स्टैंडबाई प्रोसेस गैस कंप्रेसर की अनुपलब्धता, बिजली की शटडाउन और प्रोसेस गैस कंप्रेसर की लगातार ट्रिपिंग के परिणामस्वरूप 2012-13 से 2019-20 की अवधि के दौरान ओएनजीसी के मुंबई हाई फील्ड में ₹816.08 करोड़ मूल्य की उच्च दबाव गैस का प्रज्ज्वलन हुआ।

सिफारिश सं. 1

ओएनजीसी को निवारक रख-रखाव पर ध्यान देना चाहिए और मूल उपकरण निर्माता द्वारा निर्धारित ओवरहालिंग शेड्यूल का पालन करना चाहिए ताकि मुंबई उच्च क्षेत्रों में उच्च दबाव गैस के प्रज्ज्वलन को कम किया जा सके। ओएनजीसी उन चूकों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी तय कर सकता है जो उच्च दबाव गैस की परिहार्य प्रज्ज्वलन की ओर ले जाती है।

2.5 निचाई पर स्थित दलदली भूमि के अधिग्रहण और इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए भूमि को लेने में विलंब के कारण हानि

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने काकीनाडा में अपनी भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं के साथ भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, निचाई पर स्थित प्लॉट को अधिग्रहण करने के कंपनी के निर्णय के परिणामस्वरूप प्लॉट को भरने में ₹36.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ा। इसके अलावा, एक सलाहकार को हायर करने और निर्माण संविदा देने में विलंब के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹12.97 करोड़ की समय बढ़ाने की फीस का भुगतान हुआ।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी/ कंपनी) ने अपने पूर्वी अपतटीय परिचालनों के लिए अधिप्राप्त की गई सामग्रियों के भंडारण और प्रहस्तन के लिए काकीनाडा बंदरगाह के 10-15 किलोमीटर के भीतर बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं के साथ 25 एकड़ माप वाली भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया (मार्च 2014)। आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) की उपलब्ध साइटों के निरीक्षण पर कंपनी ने वकालापुड़ी गांव में 20 एकड़ माप वाली जमीन के दो प्लॉटों का चयन किया (जून 2014)। हालांकि, एपीआईआईसी ने कंपनी को वकालापुड़ी के औद्योगिक पार्क क्षेत्र में 72 एकड़ के प्लॉट में 47 एकड़ माप वाली जमीन की उपलब्धता के बारे में सूचित किया (जुलाई 2014)। कंपनी ने एपीआईआईसी से आगामी केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 परियोजना का हवाला देते हुए 72 एकड़ का पूरा प्लॉट आवंटित करने का अनुरोध किया (जुलाई 2014)। एपीआईआईसी ने 72.14 एकड़ माप वाली उक्त भूमि (73.22 एकड़ के प्लॉट में 1.08 एकड़ के विवादित क्षेत्र को छोड़कर), जोकि निचाई पर स्थित थी, पानी से जलमग्न थी और जंगल से घिरी हुई थी और 'जहां है जैसी है' के आधार पर ₹123.50 करोड़ (₹1.71 करोड़ प्रति एकड़ पर) के भुगतान पर आवंटित की (फरवरी 2015)। कंपनी ने भूमि का अग्रिम कब्जा लिया (मार्च 2015) और 71.13 एकड़ के लिए बिक्री करार पंजीकृत किया गया (अप्रैल 2016) क्योंकि शेष 1.01 एकड़ पर नवम्बर 2015 से मुकदमा चल रहा था। कुल भूमि अधिग्रहण लागत ₹128.93 करोड़ थी क्योंकि कंपनी ने फ्रंटेंज प्रभार, प्रसंस्करण फीस, स्टॉप शुल्क और पंजीकरण फीस आदि का व्यय वहन किया था।

इस भूमि अधिग्रहण की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्न का पता चला:

- अधिग्रहण उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना था: ₹50 करोड़ से अधिक के गैर-बजटीय पूंजीगत व्यय के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, निदेशक मंडल के

अनुमोदन की आवश्यकता थी। इस मामले में, यह अधिग्रहण निदेशक मंडल के अनुमोदन के बिना किया गया था।

ii) अधिग्रहित भूमि 'जहां है जैसे है के आधार' पर थी: 2012 एपीआईआईसी के विनियमों के अनुसार, आम तौर पर, औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम अवसंरचना जैसे सड़कें, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, लैंडफिलिंग आदि होंगे। जबकि ओएनजीसी ने प्रारंभ में बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं के साथ भूमि अधिग्रहण करना चाहा, लेकिन अंततः उसने ऐसी भूमि अधिग्रहीत की जो भूमि स्तर से सात फुट नीचे थी, और अतः स्पष्टतः अविकसित थी। भूमि को भरने के लिए ₹36.19 करोड़ का व्यय उठाना पड़ा था।

iii) भूमि उपयोगिता में विलंब के कारण शास्ति: भूमि बिक्री करार के अनुसार, कंपनी को कब्जा लेने की तिथि से दो साल के भीतर अपने इच्छित उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करना आवश्यक था। हालांकि, सलाहकार को कार्य पर रखने में दो साल का विलंब (मार्च 2017) और निर्माण संविदा (मार्च 2019) देने में चार वर्षों के विलंब के कारण कंपनी को एपीआईआईसी को समय के विस्तार की ₹12.97 करोड़ की फीस का परिहार्य भुगतान करना आवश्यक हो गया और मार्च 2021 तक विस्तार प्राप्त किया (मार्च 2020)।

इस प्रकार, विकसित प्लॉटों की भूमि दरों पर भूमि स्तर से सात फीट नीचे की अनुमानित औसत गहराई के साथ 72.14 एकड़ प्लॉट का अधिग्रहण करने के निर्णय के परिणामस्वरूप निचाई वाली भूमि को भरने में ₹36.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अलावा, सलाहकार को कार्य पर रखने और निर्माण संविदा देने में विलंब के परिणामस्वरूप एपीआईआईसी को समय के विस्तार की ₹12.97 करोड़ की फीस का भुगतान हुआ।

मंत्रालय ने बताया कि (मार्च, 2020/फरवरी 2021) कार्य का विस्तृत अनुमान कीचड़/दलदली भूमि और साइट की असुरक्षित स्थितियों/यातायात की आवाजाही में बाधा के कारण व्यवहार्य नहीं था। भंडारण यार्ड में डिजाइन की गई सुविधाओं के निर्माण में विलंब एपीआईआईसी के प्रति विभिन्न अदालती मामलों के कारण है जिसमें ओएनजीसी को पक्षकार बनाया गया था और कंपनी एपीआईआईसी के साथ अदालती मामलों पर नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने पहले 20 एकड़ की विकसित भूमि का चयन करने की उपेक्षा करते हुए विकसित प्लॉट की अधिसूचित दरों पर जलमग्न तथा जंगल से आधारित निचाई वाली भूमि का अधिग्रहण किया। कंपनी उचित सावधानी करने में विफल रही क्योंकि उसने जिस भूमि का अधिग्रहण किया था, उसका एक भाग पहले से ही मुकदमेबाजी के अधीन था।

इस प्रकार, कंपनी की अपनी परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर भूमि का निर्धारण और अधिग्रहण करने की विफलता के परिणामस्वरूप निचाई वाली भूमि को भरने में ₹36.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ा। इसके अलावा, सलाहकार को कार्य पर रखने और निर्माण संविदा देने में विलंब के परिणामस्वरूप एपीआईआईसी को समय के विस्तार की ₹12.97 करोड़ की फीस का भुगतान हुआ।

2.6 नियमित केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण परिहार्य व्यय

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रीमियम थ्रेडेड केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति के लिए निविदा के प्रसंस्करण में विलंब ने बेसिन एंड सैटेलाइट एसेट, मुंबई को 2 से 2.5 गुना महंगे केसिंग पाइपों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹21.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के एकीकृत सामग्री प्रबंधन नियमपुस्तिका के खंड 34.10 के अनुसार निविदाओं के विभिन्न गतिविधियों और प्रसंस्करण के लिए अधिकतम 136 दिन का प्रावधान है। स्पष्टीकरण के प्रत्येक दौर के लिए अतिरिक्त 20 दिनों की अनुमति है। इसके अलावा जहां भी निदेशक और कार्यकारी अधिप्राप्ति समिति (ईपीसी) का अनुमोदन अपेक्षित है, वहां अतिरिक्त 5 दिन और 15 दिन की अनुमति दी जाती है।

ओएनजीसी के कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन विभाग को अप्रैल 2015 और अक्टूबर 2015 में मुंबई हाई एसेट से क्रमशः वर्ष 2015-16 और 2016-17 के प्रीमियम केसिंग पाइप्स¹⁰ के लिए माँगपत्र प्राप्त हुए। इसे क्रमशः अगस्त 2014 और अक्टूबर 2015 में उसी अवधि के लिए बेसिन और सैटेलाइट एसेट से भी माँगपत्र प्राप्त हुए। निविदा समिति ने 11 समूहों के अंतर्गत केसिंग पाइप के लिए निविदा आमंत्रण करने वाला नोटिस (एनआईटी) जारी करने की सिफारिश की (दिसंबर 2016) और इसे फरवरी 2017 में दोनों वर्षों की आवश्यकताओं को मिलाकर प्रकाशित किया गया था। उक्त टेंडर के प्रति ई-पोर्टल पर चार प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। दो दौर के स्पष्टीकरण के बाद निविदा समिति ने, बोली की वैधता प्राप्त करने के अधीन, समूह¹¹ 1 से 7 और 11 के लिए मेसर्स ऑयल कंट्री ट्यूबलर लिमिटेड, हैदराबाद (ओसीटीएल) और समूह 3-ए के लिए मेसर्स टीएमके मिडिल ईस्ट की मूल्य बोली खोलने के लिए सिफारिश की (सितंबर 2017)। तदनुसार, मूल्य बोली 19 सितंबर 2017 को खोली गई थी। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, निविदा समिति ने ₹259.99 करोड़ के लिए 2, 3,

¹⁰ 9-5/8", एल-80, 47 पाउंड प्रति फीट (पीपीएफ) विनिर्देश

¹¹ 1ए, 2ए, 3ए, 4ए, 5ए, 6ए, 7ए, 11ए

5, 6 और 7 समूहों के लिए मेसर्स ओसीटीएल को आदेश देने और 1, 4, 8, 9, 10 और 11 समूहों के लिए निविदा को फिर से आमंत्रित करने की सिफारिश की (नवम्बर 2017), जिसका निदेशक (ऑनशोर) द्वारा समर्थन किया गया था (नवंबर 2017)।

तदनुसार, नोटिस ऑफ अवार्ड (एनओए) मेसर्स ओसीटीएल को दिया गया था (05 दिसंबर 2017)। हालांकि, कई अनुस्मारकों के बावजूद, मेसर्स ओसीटीएल निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में विफल रहा जिसके कारण ₹3.67 करोड़ की बयाना राशि जमा आह्वान करने के लिए प्रस्तावित किया गया था (जनवरी 2018)। मेसर्स ओसीटीएल ने ओएनजीसी बयाना राशि को निष्पादन बैंक गारंटी में रूपांतरित करने और शेष निष्पादन बैंक गारंटी मूल्य कवर होने तक प्रत्येक आपूर्ति बीजक से 13 फीसदी की कटौती पर विचार करने का अनुरोध किया (जनवरी 2018)। आवश्यकता की तात्कालिकता को देखते हुए और निविदा समिति की सिफारिश के आधार पर, निदेशक (ओनशोर) (i) बयाना राशि जमा को निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में रूपांतरित करने और (ii) प्रत्येक बीजक के 25 प्रतिशत मूल्य की कटौती करने और बैंक गारंटी राशि की पूर्ण रूप से वसूली होने तक राशि को रखने का अनुमोदन दिया। मेसर्स ओसीटीएल को तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए विस्तृत खरीद आदेश जारी करने की तिथि से 23 सप्ताह की निर्धारित अवधि की अपेक्षा छह सप्ताह के भीतर 12,000 मीटर केसिंग पाइपों की आपूर्ति करने की भी सलाह दी गई थी। मेसर्स ओसीटीएल से पुष्टि की प्राप्ति के बाद फरवरी 2018 में खरीद का आदेश दिया गया। हालांकि, आपूर्तिकर्ता बार-बार अनुरोधों के बावजूद आदेश को पूरा करने में विफल रहा और अंत में, खरीद आदेश रद्द कर दिया गया (नवंबर 2018)।

परिसंपत्ति प्रबंधक, बेसिन एंड सैटेलाइट एसेट, मुंबई ने कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन दिल्ली को अवगत कराया (अगस्त 2017) कि, पश्चिमी अपतटीय एसेट और बेसिन में 9-5/8 "एल-80 प्रीमियम केसिंग पाइप का स्टॉक 'शून्य' था और आगे प्रस्तुत किया कि केसिंग पाइप की अनुपलब्धता और रिग की निष्क्रियता से बचने के लिए, बंबई हाई प्लेटफार्म और वसई ईस्ट वेल्स के दो कुओं में 2 से 2.5 गुना महंगा 13 क्रोम एल-80 प्रीमियम केसिंग पाइप का उपयोग करने के लिए एसेट को मजबूर किया गया था।

इस प्रकार, समय पर प्रीमियम थ्रेडेड केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति के लिए नियमित निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, बेसिन और सैटेलाइट एसेट को महंगे केसिंग पाइपों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹21.56 करोड़ (अनुलग्नक-II) का परिहार्य व्यय हुआ। कंपनी के अन्य प्रतिष्ठानों से व्यवस्थित समान प्रकार के केसिंग पाइपों का उपयोग करके मुम्बई हाई एसेट पर परिचालन जारी रखा गया था।

ओएनजीसी ने बताया कि (जनवरी 2020):

- कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली निविदाओं के माध्यम से वार्षिक आधार पर केसिंग पाइपों की केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति की जा रही है और एसेट/बेसिनों द्वारा जारी सभी मांगपत्रों को निविदा प्रयोजनों के लिए कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन में समेकित किया जा रहा है। प्रीमियम थ्रेड केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति के लिए निविदा को सही ढंग से संसाधित किया गया था; हालांकि, विभिन्न मुद्दों पर विलंबन ओएनजीसी के नियंत्रण से बाहर थे।
- चूंकि प्रीमियम केसिंग पाइपों की कमी थी, इसलिए ओएनजीसी के पास बॉम्बे हाई प्लेटफॉर्म और वसई ईस्ट के दो कुओं के परिसंचालन और ड्रिलिंग को चालू रखने के लिए 13 क्रोम केसिंग पाइप का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि प्रीमियम केसिंग के स्थान पर 13 क्रोम केसिंग पाइपों को उतारा नहीं गया होता, तो रिगों को विभिन्न स्थानों पर ले जाना पड़ता, जिससे लामबंदी तथा गैर लामबंदी शुल्क लगता। इस प्रकार, ओएनजीसी ने परिचालन का प्रबंधन किया और महंगे शटडाउन और लागत को बढ़ने से बचा लिया।
- केसिंग पाइपों के प्रीमियम कनेक्शनों में बदलाव, यह पता लगाया जाना कि प्रीमियम केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति पर प्रतिपाटन शुल्क लागू है, स्टील पॉलिसी अधिसूचना मई 2017 में, जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होना और दिल्ली उच्च न्यायालय में मेसर्स हंटिंग एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका में अदालती मामलो के कारण निविदा के प्रसंस्करण में विलंब हुआ।

यह निर्णय लिया गया था कि निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में लागू बयाना राशि (₹3.67 करोड़) को परिवर्तित किया जाए और प्रत्येक बीजक का 25 प्रतिशत मूल्य निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में कटौती की जाए।

मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों को दोहराते हुए बताया (जून 2021) कि माल सूची के निर्माण को रोकने और माल सूची की ढुलाई लागत को कम करने के क्रम में संयुक्त मांगपत्र रखा गया था। 2014-15 और 2015-16 की आवश्यकता को विभिन्न कार्य केंद्रों के साथ उपलब्ध बफर स्टॉक के साथ पूरा किया गया, जो तेल और गैस के व्यवसाय में एक सामान्य प्रथा है। मंत्रालय ने आगे बताया कि निविदा के प्रसंस्करण में विलंब से बचने के लिए प्रबंधन द्वारा कई सुधारात्मक उपाय किए गए थे।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है।

- कंपनी वार्षिक आधार पर केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति की अपनी नीति का अनुपालन करने में विफल रही क्योंकि इसने 2015-16 की आवश्यकता को 2016-17 के साथ मिला दिया,

जिसके कारण माँगपत्र को प्रसंस्करण करने में विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप 2 से 2.5 गुना महंगा प्रीमियम केसिंग पाइप का उपयोग हुआ। एकीकृत सामग्री प्रबंधन नियम पुस्तिका के पैरा 1.4.2 के साथ पठित पैरा 1.3 को रचनात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए। समेकन को किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न एसेट/बेसिनो से प्राप्त सभी आवश्यकताओं के समेकन का संदर्भ देना चाहिए न कि विभिन्न वर्षों की आवश्यकताओं का समेकन। ओएनजीसी को सामग्री की समय-सीमा, स्टॉक की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति के लिए समय पर निविदा का प्रसंस्करण करना चाहिए था। हालांकि, केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति के लिए एनओए को सामग्री प्रबंधन नियम पुस्तिका में दिए गए 176 दिनों के समय मानदंडों की अपेक्षा माँगपत्र की तिथि से 782 से 1,201 दिनों की अत्यधिक विलंब के साथ दिया गया था।

- कंपनी के सामग्री प्रबंधन पुस्तिका का खंड 34.10 माल की अधिप्राप्ति के लिए 176 दिनों का प्रसंस्करण समय देता है। यह अवधि एनओए को देने तक निविदा के प्रसंस्करण में शामिल सभी सामान्य अपेक्षित गतिविधियों को शामिल करती है। इसलिए, तकनीकी बोली मूल्यांकन मानदंडों में संशोधन, प्रीमियम थ्रेड कनेक्शनों की समीक्षा, बोलीदाताओं को स्पष्टीकरण आदि जैसी गतिविधियों को केसिंग पाइपों को समय पर वितरण के लिए, विशेष रूप से इसके विभिन्न प्रतिष्ठानों पर अपेक्षित सामग्रियों की कमी को देखते हुए समय पर पूरा किया जाना चाहिए।
- प्रीमियम केसिंग पाइपों की आवश्यकता 2015-16 के लिए थी और इसके माँगपत्र अगस्त 2014 में प्राप्त हुए थे। इसलिए, यदि प्रबंधन ने सामग्री प्रबंधन नियम पुस्तिका की समयसीमा के अनुसार निविदा का प्रसंस्करण किया होता, तो उत्तर में उद्धृत मुद्दों अर्थात् प्रतिपाटन शुल्क, स्टील पॉलिसे, जीएसटी और अदालती मामले आदि को लागू करने से अधिप्राप्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- किसी विशेष वर्ष की आवश्यकता के लिए खरीद आदेश देने से आगामी निविदा चक्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए। हालांकि, निविदा प्रसंस्करण में लगातार देरी हो रही थी क्योंकि 2014-15 की आवश्यकता के लिए खरीद आदेश अप्रैल 2016 में दिया गया था और 2015-16 और 2016-17 की आवश्यकता के लिए खरीद आदेश फरवरी 2018 में दिया गया था। इस प्रकार, ओएनजीसी केसिंग पाइपों की अपनी वार्षिक आवश्यकता के लिए खरीद आदेश को समय पर देने में विफल रहा।
- परिचालनात्मक आवश्यकताओं अर्थात् जैसे कि लाभ बंदी/गैर लाभ बंदी प्रभारों, रिग निष्क्रियता, उत्पादन की हानि आदि को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम केसिंग पाइपों के उपयोग के कारण आने वाली बाधाओं को निविदा को अंतिम रूप देकर और कंपनी की

केसिंग पाइपों की वार्षिक आवश्यकता के लिए खरीद आदेश को समय पर देने से बचा जा सकता था।

- माल सूची की ढुलाई की लागत से बचने के लिए मांगपत्र का मिलान परिहार्य परिवहन व्यय को बढ़ाता है। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष, कॉरपोरेट सामग्री प्रबंधन सभी इकाइयों के ध्यान में लाता है कि आगामी चक्र के लिए मांगपत्र को अंतिम रूप देते समय, वर्तमान चक्र के लिए दिए गए आदेश/ पारगमन में सामग्री को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए विभिन्न कार्य केंद्रों के पास रखे बफर स्टॉक, कार्य केंद्रों द्वारा की गई आवश्यकता के निर्धारण पर सवाल उठाता है।

इस प्रकार, यदि ओएनजीसी ने वार्षिक आधार पर तैयार एसेट/बेसिनों से प्राप्त सभी मांगपत्रों के समेकन के बाद ठीक समय के भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू और पूरी की होती जैसे कि सामग्री प्रबंधन नियमा पुस्तिका में निर्धारित है तो, महंगे केसिंग पाइपों के उपयोग के कारण कंपनी द्वारा किए गए ₹21.56 करोड़ के व्यय से बचा जा सकता था।

सिफारिश संख्या 2

ओएनजीसी अपनी अधिप्राप्ति नीति का पालन सुनिश्चित कर सकता है और अधिप्राप्ति प्रक्रिया समय पर शुरू कर सकता है ताकि इसकी अन्वेषण गतिविधियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सामग्रियों का स्टॉक समाप्त होने की स्थिति से बचा जा सके।

2.7 महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन, कोलकाता में विभागीय रिग की निष्क्रियता और त्रिपुरा एसेट में एक और रिग को किराए पर लेने के कारण परिहार्य व्यय

ओएनजीसी की त्रिपुरा एसेट ने गहरे कुएं की ड्रिलिंग के लिए महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन, कोलकाता को विभागीय रिग को निर्मुक्त किया। हालांकि, अनुचित योजना के कारण, तैयार स्थान न मिलने के कारण रिग 213 दिनों तक निष्क्रिय रहा जिससे 2019-20 और 2020-21 के दौरान ₹17.36 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा, त्रिपुरा एसेट ने इसी अवधि के दौरान एक और रिग को किराए पर लिया, जिससे ₹12.33 करोड़¹² का परिहार्य व्यय हुआ।

वर्ष 2018-19 के दौरान, ओएनजीसी के महानदी-बंगाल-अंडमान (एमबीए) बेसिन कोलकाता में टाइप 1 विभागीय रिग (3,050 मीटर तक की गहराई के संदर्भ में ड्रिलिंग क्षमता) द्वारा ड्रिलिंग गतिविधियाँ की गईं। न्यू ऐक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी ब्लॉक (डब्ल्यूबी-ओएनएन-2005/4) के न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, बैरकपौर #ए स्थान

¹² मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक किराए पर ली गई एक रिग के लिए किया गया भुगतान (डीआर#15: ₹12.33 करोड़)

को 17 जुलाई 2018 को 4,800 मीटर की लक्ष्य गहराई के साथ अन्वेषण के लिए निर्मुक्ति किया गया था। चूंकि बैरकपुर #ए एक गहरा कुआं था और उपलब्ध विभागीय रिग की क्षमता से अधिक था, इसलिए संयुक्त समीक्षा बैठक में एमबीए बेसिन में 2019-20 के दौरान टाइप-III रिग (6,100 मीटर तक की कुएँ की गहराई के संदर्भ में ड्रिलिंग क्षमता) तैनात करने और अन्य कार्य केंद्र में विभागीय रिग को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया था (जुलाई 2018)।

एमबीए बेसिन, कोलकाता ने वर्ष 2019-20 के लिए एमबीए बेसिन के बजट अनुमान में मई 2019 से टाइप-III रिग (बीआई-2000-1) की तैनाती के लिए प्रस्ताव रखा (अगस्त 2018)। सक्षम प्राधिकरण ने अगरतला से कोलकाता तक टाइप-III रिग की तैनाती का अनुमोदन किया (अक्टूबर 2018) और रिग को एमबीए बेसिन, कोलकाता के लिए त्रिपुरा एसेट से नियुक्त किया गया (8 मई 2019) और 31 जनवरी 2020 को शुरू किया गया था। चूंकि एमबीए बेसिन, कोलकाता में तैयार स्थान उपलब्ध नहीं था, इसलिए रिग फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक 213 दिनों तक निष्क्रिय पड़ा रहा (जबकि रिग ड्रिलिंग गतिविधियों के लिए तैयार था)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

i) जनवरी/ अप्रैल 2019 में हुई ड्रिलिंग और वेल सर्विसेज की संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान, निदेशक (प्रौद्योगिकी एवं क्षेत्रीय सेवाएं) ने अगरतला से इसके जारी होने से पहले जारी किए गए स्थानों की उपलब्धता और रिग बीआई-2000-1 के लिए ड्रिल साइट की तैयारी को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हालांकि, रिग को त्रिपुरा एसेट, अगरतला से जारी किया गया था, यद्यपि यह ज्ञात था कि ड्रिलिंग उद्देश्य के लिए बेसिन के पास कोई भूमि आसानी से उपलब्ध नहीं थी। रिग 213 दिनों तक निष्क्रिय रहा, जिससे निष्क्रियता लागत पर ₹17.36 करोड़¹³ का निष्फल व्यय हुआ।

ii) त्रिपुरा एसेट से रिग बीआई-2000-1 को जारी करने से पहले, यह कार्य करने की स्थिति में था और जून 2017 से मई 2019 के दौरान एसेट में तीन अन्वेषणात्मक कुओं और एक विकसित कुएं के कार्यों को पूरा किया था। इस रिग के जारी होने के बाद त्रिपुरा एसेट ने ड्रिलिंग के कार्य को पूरा करने के लिए मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक रिग डीआर#15 को किराए पर लिया जिस पर ₹12.33 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

इस प्रकार, अनुचित योजना के कारण, त्रिपुरा एसेट द्वारा एमबीए बेसिन, कोलकाता को जारी विभागीय रिग तैयार स्थान की अनुपलब्धता के कारण 213 दिनों तक निष्क्रिय रहा

¹³ स्टाफ लागत और रिग की निष्क्रियता से हुए अन्य व्यय के आधार पर प्रबंधन द्वारा गणना की गई थी।

जिससे 2019-20 और 2020-21 के दौरान ₹17.36 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा, त्रिपुरा एसेट ने इसी अवधि के दौरान एक और रिग को किराए पर लिया, जिससे ₹12.33 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

ओएनजीसी ने बताया (फरवरी 2021) कि:

- न्यूनतम कार्य कार्यक्रम प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, स्थान बैरकपुर #ए 17 जुलाई 2018 को निर्मुक्त किया गया था। इस स्थान को एक गहरी ड्रिलिंग टाइप-III रिग द्वारा ड्रिल किया जाना चाहिए था, जोकि एमबीए बेसिन के साथ उपलब्ध नहीं था। निर्धारित समय सीमा के भीतर ड्रिलिंग की पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, डीप ड्रिलिंग रिग की व्यवस्था करने और साथ ही स्थान के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

भूमि अधिग्रहण और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार से मंजूरी मिलने में अत्यधिक विलंब हुआ, जो ओएनजीसी के नियंत्रण से बाहर थे। भूमि अधिग्रहण में इस विलंब के परिणामस्वरूप रिग 213 दिनों की अवधि के लिए निष्क्रिय हो गया और ₹17.36 करोड़ की लागत निष्क्रिय हुई।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- त्रिपुरा एसेट से एमबीए बेसिन कोलकत्ता में रिग के स्थानांतरण के समय, बेसिन में न तो कोई तैयार स्थान था और न ही कोई अधिग्रहीत भूमि। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण के बाद भी, सिविल कार्यों के लिए कम से कम तीन से चार महीने की आवश्यकता होती है। इसलिए, एक विवेकपूर्ण निर्णय के रूप में, कंपनी को बेसिन द्वारा कुओं की ड्रिलिंग के लिए कम से कम भूमि का अधिग्रहण करने के बाद रिग जारी करना चाहिए था ताकि विभागीय रिग का इस्टिमेट रूप में उपयोग किया जा सके।
- निदेशक (प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सेवाएं) की इच्छा थी कि अगरतला से रिग के जारी किए जाने से पहले कोलकाता में इसके लिए स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि, इसका पालन नहीं किया गया और रिग बीआई-2000-1 को ड्रिलिंग के लिए स्थान की तैयारी की पुष्टि किए बिना जारी किया गया।
- कंपनी को त्रिपुरा एसेट में अपने परिचालन जारी रखने के लिए ₹12.33 करोड़ की लागत से एक और रिग (डीआर#15) को किराए पर लेना पड़ा, यद्यपि स्थान के अभाव में कोलकाता के एमबीए बेसिन में इसकी अपनी रिग निष्क्रिय पड़ी थी। कंपनी त्रिपुरा एसेट में ड्रिलिंग के लिए विभागीय रिग का उपयोग कर सकती थी और स्थान तैयार होने के बाद रिग को एमबीए बेसिन तक ले जाने की कार्यवाही की जा सकती थी।

इस प्रकार, ओएनजीसी को अनुचित योजना के कारण ₹29.69 करोड़¹⁴ का परिहार्य व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप न केवल 213 दिनों तक विभागीय रिग की निष्क्रियता हुई बल्कि इसके परिचालनों को पूरा करने के लिए एक और रिग को भी किराए पर लेना पड़ा। लेखापरीक्षा पैराग्राफ फरवरी 2021 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जुलाई 2021)।

सिफारिश सं. 3

ओएनजीसी को कंपनी के सर्वोत्तम वित्तीय हितों में किराए पर लेने से पहले अपने स्वयं के रिगों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

2.8 पर्याप्त सुविधाओं का सृजन न करने के परिणामस्वरूप कम दबाव वाली गैस का परिहार्य प्रज्वलन

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मेहसाणा एसेट में पर्याप्त सुविधाएं सृजित न होने से कम दबाव वाली गैस का परिहार्य प्रज्वलन हुआ और इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2016 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹15.13 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की मेहसाणा एसेट अपने क्षेत्रों से प्रति दिन 5.5 से 6 लाख मानक घन मीटर (एलएससीएमडी) की संबद्ध तथा मुक्त गैस का उत्पादन करती है जिसकी आंतरिक उपयोग के लिए खपत की जाती है, या ग्राहकों को बेची जाती है या पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में प्रज्वलित की जाती है। संबद्ध गैस एसेट के कुल गैस उत्पादन का 90 प्रतिशत है और शेष 10 प्रतिशत मुक्त गैस है। तेल के साथ उत्पादित कम दबाव की संबद्ध गैस अपने दबाव को बढ़ाने और मुक्त प्रवाह की सुविधा के लिए संकुचित की जाती है और शेष कम दबाव गैस, जिसे संकुचित नहीं किया जाता, प्रज्वलित की जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान उत्पादित कम दबाव गैस के 8,569 एलएससीएम में से एसेट ने विभिन्न उपभोक्ताओं को 4,136 एलएससीएम की आपूर्ति की और 4,074 एलएससीएम का उपयोग कैप्टिव उपयोग के लिए किया गया। चार साल के दौरान मेहसाणा एसेट में कम दबाव गैस का कुल प्रज्वलन 359 एलएससीएम (कुल उत्पादन का 4.2 फीसदी) था। तकनीकी कारणों, एकांत स्थानों, सुविधाओं की कमी और अन्य कारणों से कम दबाव वाली प्रज्वलित गैस की मात्रा क्रमशः 126 एलएससीएम, 21 एलएससीएम, 193 एलएससीएम और 19 एलएससीएम थी। अकेले

¹⁴ डीआर#15 की किराए की लागत ₹12.33 करोड़ तथा ₹17.36 करोड़ रिग निष्क्रियता की लागत

नंदासन ग्रुप गैदरिंग स्टेशन और लिंच अर्ली प्रोडक्शन सिस्टम (ईपीएस) ने सुविधाओं की कमी के कारण प्रज्ज्वलित 193 एलएससीएम में से 157 एलएससीएम का योगदान दिया। ओएनजीसी के उत्पादन एवं विकास निदेशालय ने, महानिदेशक, हाइड्रो कार्बन (डीजीएच) को मेहसाणा एसेट के प्रक्रिया कारणों के कारण कम दबाव वाली प्रज्ज्वलित गैस (तकनीकी सीमा) की स्वीकार्य सीमा 2.70 प्रतिशत की सूचना दी। हालांकि, मेहसाणा एसेट में वास्तविक कम दबाव वाली प्रज्ज्वलित गैस वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः, 5.12 प्रतिशत, 4.40 प्रतिशत, 4.11 प्रतिशत और 3.18 प्रतिशत थी, जो तकनीकी सीमा की तुलना में 2.42 प्रतिशत, 1.70 प्रतिशत, 1.41 प्रतिशत और 0.48 प्रतिशत अधिक थी।

इस प्रकार, कम दबाव गैस के परिहार्य प्रज्ज्वलन के कारण अप्रैल 2016 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹15.13 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2020) कि निरंतर प्रयासों के बावजूद, सुविधाओं की कमी के कारण प्रज्ज्वलन को नंदासन और लिंच क्षेत्रों की प्रकृति (छोटे और एकांत) के कारण उत्पादन प्रोफाइल में अनिश्चितता के कारण वांछनीय स्तर तक नीचे नहीं लाया जा सका।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2021) कि मेहसाणा एसेट क्षेत्रों के निष्पादन से संबंधित मामलों पर जलाशय अध्ययन संस्थान के साथ लगातार संपर्क में था। सुविधा के सृजन पर बिक्री प्रतिबद्धता और निर्णय जलाशय अध्ययन संस्थान द्वारा प्रोफाइल पर आधारित हैं, तथापि कई पूल और परतों वाले छोटे और सीमांत क्षेत्रों के लिए प्रोफाइल की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। मंत्रालय ने आगे बताया कि मेहसाणा एसेट गैस बिक्री निविदाओं के साथ आगे बढ़ी और गैस के प्रज्ज्वलन से बचने के लिए वास्तविक उत्पादन आंकड़ों के आधार पर अतिरिक्त संपीड़न सुविधा का सृजन किया। इसके अलावा, एसेट ने कम दबाव कंप्रेसर को लिंच में स्थानांतरित करने और लिंच ग्रुप गैदरिंग स्टेशन पर माइक्रो टरबाइन चालू करने जैसे प्रयास किए थे। प्रोफाइल की अनिश्चितता और अतिरिक्त कम दबाव गैस की अस्थायी उपलब्धता के कारण प्रज्ज्वलन को कम करने के क्रम में, उपभोक्ताओं को परिचालन कारणों के कारण उपलब्ध अतिरिक्त गैस की आपूर्ति के लिए कार्यप्रणाली को 537वीं कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन दिया गया था। एसेट ने जनवरी 2020 में प्रज्ज्वलन को 2.71 प्रतिशत (तकनीकी आवश्यकता) तक कम किया और प्रज्ज्वलन सितंबर 2020 में 3 प्रतिशत के करीब था; एसेट इसे तकनीकी आवश्यकता तक कम रखने का प्रयास करती है।

उत्तर को निम्नलिखित के संदर्भ में देखा जाना चाहिए:

- 31 मार्च 2018 तक लिंच ग्रुप गैदरिंग स्टेशन पर केवल दो कम दबाव कंप्रेसर (प्रत्येक 10,000 एससीएमडी की क्षमता के साथ) स्थापित किए गए थे। मार्च 2020 तक, चार कम दबाव कंप्रेसर (प्रत्येक 10,000 एससीएमडी की क्षमता के साथ) लिंच ग्रुप गैदरिंग स्टेशन में स्थापित किए गए हैं; अतिरिक्त कंप्रेसरों को मई/अक्टूबर 2018 में मेहसाणा के अन्य क्षेत्रों (जहां कंप्रेसिंग सुविधा का कम उपयोग किया गया था) से स्थानांतरित कर दिया गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया है कि 2017-18 के बाद से इन क्षेत्रों में कंप्रेसर उपयोग में नहीं होने के बावजूद नार्थ काडी ग्रुप गैदरिंग स्टेशन और जोटाना ग्रुप गैदरिंग स्टेशन से लिंच और नंदासन में कम दबाव कंप्रेसर को स्थानांतरित करने की आवश्यकता का पता लगाने में विलंब हुआ। इस प्रकार, लिंच और नंदासन के क्षेत्रों में कम दबाव के प्रज्जवलन को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की गई।
- मेहसाणा एसेट ने एक वर्ष से अधिक समय तक 65 केवीए माइक्रो टरबाइन का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद तीन माइक्रो टरबाइन (200 केवीए की क्षमता वाली एक और 65 केवीए क्षमता प्रत्येक के साथ अन्य दो) की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव शुरू किया है; निविदा पूरी हो चुकी है लेकिन कोविड-19 महामारी परिस्थिति के कारण निविदा प्रदान करने की सूचना रोक कर रखी गई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि परिहार्य प्रज्जवलन नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं आवश्यक हैं और ओएनजीसी ने केवल 2019-20 में कार्रवाई शुरू की, हालांकि क्षेत्रों में सुविधा की कमी के कारण 2016-17 के बाद से कम दबाव गैस का प्रज्जवलन लगातार हुआ है।
- मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के दौरान केवल अपवादात्मक महीनों पर विचार किया। 2019-20 के आंकड़ों की संवीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रज्जवलन अप्रैल से अगस्त 2019 तक उत्पादन के 3 प्रतिशत से लगातार अधिक था और मार्च 2020 में 4.8 प्रतिशत गैस प्रज्जवित हुई थी। इसके अलावा पूरे वर्ष 2019-20 के दौरान, नंदासन और लिंच में सुविधा की कमी के कारण प्रज्जवलन तकनीकी सीमा से लगातार अधिक रहा।
- लेखापरीक्षा इस बात की सराहना करता है कि परिचालन कारणों से उपलब्ध उपभोक्ताओं को अतिरिक्त गैस की आपूर्ति के लिए कार्यप्रणाली को 537^{वीं} कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था और मार्च 2019 में निविदाओं को अंतिम रूप देने में समय को कम करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई थी और अब एक प्रणाली लागू है। तथापि, तथ्य यह है कि एसेट द्वारा उपलब्ध कम दबाव कंप्रेसर को स्थानांतरित करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की गई थी और अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन अभी पूरा किया जाना है, जिसके कारण, मेहसाणा एसेट में उत्पादन की तुलना में प्रज्जवलन अनुमोदित तकनीकी स्तरों से ऊपर बना हुआ है।

इस प्रकार, मौजूदा अनुमानित उत्पादन प्रोफाइल और उत्पादन में सकारात्मक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुविधाओं का सृजन न करने के परिणामस्वरूप ₹15.13 करोड़ की राशि की 193 लाख मानक घन मीटर कम दबाव वाली गैस का प्रज्ज्वलन हुआ, जिससे बचा जा सकता था।

सिफारिश संख्या 4

ओएनजीसी को अपनी अन्य एसेट पर कम दबाव वाली गैस के प्रज्ज्वलन की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए कि प्रज्ज्वलन को अनुमेय सीमा के भीतर रखा जाए।

ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड

2.9 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित ऋण-इक्विटी अनुपात का रखरखाव न होने के कारण दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान

ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड पर ऋण करार के नियमों और शर्तों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के संघ द्वारा वित्तपोषित परियोजना में निर्धारित ऋण-इक्विटी अनुपात का रखरखाव न होने के कारण ₹25.81 करोड़ का परिहार्य शास्तिक ब्याज लगाया।

ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड (ओपीएएल) के निदेशक मंडल ने जनवरी 2014 की निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि से पहले 70:30 और उसके बाद 60:40 के अनुपात के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ ₹21,396 करोड़ की अनुमानित लागत पर दहेज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना को अनुमोदन दिया (मार्च 2012)। ओपीएएल ने ₹14,977 करोड़ के ऋण के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के संघ के साथ रुपये ऋण करार (आरएलए) पर हस्ताक्षर किए (जनवरी 2013)। बाद में जुलाई 2014 में, बोर्ड ने दिसंबर 2015 तक 66:34 के ऋण-इक्विटी अनुपात और उसके बाद 58:42 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ ₹27,011 करोड़ की परियोजना लागत में संशोधन को अनुमोदन दिया। कंपनी ने एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के संघ के साथ अप्रैल 2015 में आरएलए को पूरक और संशोधनात्मक करार पर हस्ताक्षर करके ऋण भाग में वृद्धि की।

एसबीआई ने आरएलए के लिए संशोधनात्मक करार पर हस्ताक्षर करते समय (अप्रैल 2015), निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि 30 जून 2015 के रूप में निर्धारित की और बताया कि समग्र परियोजना लागत को 31 दिसंबर 2015 तक 66:34 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ वित्त पोषित किया जाना चाहिए और इसके बाद, अनुपात को 58:42 तक किया

जाना चाहिए। इसके अलावा, एसबीआई ने एक और शर्त रखी कि 31 मई 2015 तक या उससे पहले की समग्र इक्विटी आवश्यकता को जोड़ा जाएगा, ऐसा न होने पर 1 जून 2015 से प्रति वर्ष 1 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा।

ओपीएएल ने इक्विटी की आवश्यकता को जोड़ने और अतिरिक्त ब्याज के गैर-उदग्रहण के लिए दिसंबर 2015 तक समय विस्तार की मांग की (अगस्त 2015)। ओपीएएल ने यह भी बताया कि ओएनजीसी ने ₹1,922 करोड़ (शेयर वारंट के माध्यम से) की इक्विटी शामिल की है जिससे कुल इक्विटी बढ़कर ₹3,943.93 करोड़ हो गई और संभावित निवेशक परियोजना में निवेश करने के इच्छुक थे। इसके उत्तर में, एसबीआई ने निर्धारित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ओपीएएल को 31 दिसंबर 2015 तक समय की अनुमति दी (7 दिसंबर 2015), ऐसा न होने पर जनवरी 2016 से 1 प्रतिशत प्रति वर्ष शास्तिक के अतिरिक्त ब्याज दर प्रभारित किया जाएगा।

ओपीएएल अतिरिक्त इक्विटी बढ़ाने में विफल रहा और इस प्रकार एसबीआई द्वारा अनुमत सात महीने बीत जाने के बावजूद निर्धारित ऋण-इक्विटी अनुपात को बनाए नहीं रख सका। परिणामस्वरूप, बैंक ने जनवरी 2016 से शास्तिक ब्याज वसूल करना शुरू कर दिया। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि कंपनी ने आरबीआई द्वारा एसबीआई को परियोजना में अपेक्षित इक्विटी को शामिल न करने के लिए 31 मार्च 2016 से ओपीएएल लेखा को एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित करने के निर्देश के बाद परिवर्तनीय डिबेंचर के प्लेसमेंट के माध्यम से ₹7,286 करोड़ की इक्विटी बढ़ाने का प्रस्ताव किया (मार्च 2016)। एसबीआई ने जनवरी 2016 से मई 2017 तक की अवधि के लिए शास्तिक ब्याज के लिए ओपीएएल से ₹25.81 करोड़ वसूल किए।

इस प्रकार, निर्धारित ऋण-इक्विटी अनुपात का रखरखाव न करने के कारण, ओपीएएल ने ₹25.81 करोड़ का परिहार्य शास्तिक ब्याज का भुगतान किया।

इक्विटी अंतर को निर्धारित ऋण-इक्विटी अनुपात का अनुपालन करने के लिए अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से वित्तपोषित करने तक ओपीएएल ने शास्तिक ब्याज की उदग्रहण की पुष्टि की (दिसम्बर 2020)। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2021) कि हालांकि ओएनजीसी/ ओपीएएल ने एसबीआई की संस्वीकृत शर्तों के अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में इक्विटी/ अर्ध इक्विटी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू किया, लेकिन इस तरह के वित्तीय साधन जारी करने, दस्तावेज तैयार करने, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत वैधता और अन्य अनुपालनों की जांच करने के संबंध में शामिल जटिलताओं के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। मंत्रालय ने आगे बताया कि ओएनजीसी/ओपीएएल के लिए अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर की अवधारणा नई थी जिसमें अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

ओपीएएल/ मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के कारण मान्य नहीं है कि ओपीएएल ने निर्धारित अनुपालन की नियत तिथि (दिसंबर 2015) के दो महीने बाद अर्थात् फरवरी 2016 में अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर के प्लेसमेंट के माध्यम से वांछित स्तर पर इक्विटी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके अलावा, एसबीआई ने संशोधन करार के नियमों और शर्तों के अनुपालन के लिए सात महीने के समय की अनुमति दी थी, जो अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा, इस तथ्य के मद्देनजर कि कंपनी एसबीआई के स्वीकृत नियमों और शर्तों के बारे में जानती थी, ओपीएएल को दिसंबर 2015 की विस्तारित देय तिथि से पहले अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर मार्ग का सहारा लेना चाहिये था। ओपीएएल केवल जुलाई 2016 (₹5,615 करोड़) और मई 2017 (₹1,671 करोड़) अर्थात् नियत तिथि के एक वर्ष से अधिक के बीत जाने के बाद, दो किस्तों में ही अतिरिक्त इक्विटी बढ़ा सका।

इस प्रकार, ओपीएएल ने एसबीआई द्वारा सात महीने के विस्तार की अनुमति के बावजूद समग्र परियोजना लागत में निर्धारित इक्विटी के गठ-जोड़ में देरी की, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2016 से मई 2017 की अवधि के लिए ₹25.81 करोड़ के शास्तिक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ, जिससे परियोजना लागत में वृद्धि हुई।

सिफारिश संख्या 5

ओपीएएल, कंपनी के सर्वोत्तम वित्तीय हितों में बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के साथ वित्त/ ऋण करारों में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन सुनिश्चित कर सकता है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

2.10 सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में कार्य देने के द्वारा निजी पार्टियों को दिया गया अनुचित लाभ

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों की अवहेलना में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ₹10.60 करोड़ के मूल्य वाले अपने तेल और गैस भंडारों का नामांकन के आधार पर निजी पार्टियों को लेखापरीक्षण का कार्य दिया, जिससे निजी पार्टियों को अनुचित लाभ मिला।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) दुनिया भर के 19 विविध देशों में 39 अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) एसेट (मार्च 2020) के साथ उपस्थिति है। ओवीएल अपने तेल और गैस भंडारों को समय-समय पर (हर पांच साल के बाद) या अन्य कंपनी आवश्यकताओं के अनुसार थर्ड पार्टी के लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा करवा रही है। संभावित वित्तदाताओं, जो एक अन्वेषण के भंडार को जानने में रुचि रखते हैं, और उत्पादन कंपनी को भंडार के वास्तविक मूल्य को जानने के लिए रिजर्व ऑडिटिंग मददगार है। यह वैधानिक अनुपालन के साथ-साथ कॉर्पोरेट सुशासन के लिए भी आवश्यक है।

ओवीएल ने नए तेल क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए वैश्विक बाजार से प्रतिस्पर्धी लागतों पर दीर्घकालिक निधि सृजित करने के लिए 7,95,000 यूएसडी (डीएंडएम : यूएसडी 3,00,000; स्प्राँले : यूएसडी 4,95,000) की कुल लागत के नामांकन आधार पर दो एंजेसियों अर्थात् रसिया में 25 क्षेत्रों के लिए मैसर्स डीगोलेयर एंड मैकनोटन (डीएंडएम) और सूडान में 52 क्षेत्रों के लिए मैसर्स स्प्राँले को तेल क्षेत्रों के लेखापरीक्षण थर्ड पार्टी कंसेलटेसी कार्य दिया (नवम्बर 2013)।

कंपनी ने भंडारों के अनुमान के लिए बहुत कम समय को ध्यान में रखते हुए नामांकन के आधार पर सलाहकारों का चयन किया था।

वर्ष 2019-20 के दौरान, रूस में 54 चयनित भंडारों के लिए भंडार अनुमान के कार्यों को नामांकन के आधार पर यूएसडी 7,95,000 की कुल लागत पर फिर से मैसर्स डीएंडएम को प्रदान किया गया (अक्टूबर 2019)। यह कार्य कंपनी के साथ डेटा संवेदनशीलता, विश्वसनीयता और पहले कार्य भागीदारी पर नामांकन के आधार पर प्रदान किया गया था।

इस प्रकार, ओवीएल ने नामांकन के आधार पर भंडार अनुमान के दोनों कार्यों को यूएसडी 15,90,000 (₹10.60 करोड़¹⁵) की कुल लागत पर प्रदान किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया है कि:

i) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों (5 जुलाई 2007 और 11 जुलाई 2018)¹⁶ के अनुसार, नामांकन के आधार पर संविदाओं को केवल असाधारण परिस्थितियों में लिया जाना था जैसे कि जहां आपूर्तिकर्ता या संविदाकार के पास माल या सेवाओं के संबंध में विशेष अधिकार हैं और कोई उचित विकल्प या मौजूद नहीं है आदि। ओवीएल के लिए कार्य करने वाले अन्य अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भंडार लेखापरीक्षकों की उपलब्धता के बारे में लेखापरीक्षा के प्रश्न के प्रति उत्तर में यह सूचित किया गया था कि चार अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित एंजेसियां¹⁷ हैं जो ओवीएल के लिए कार्यों को कर सकती हैं। इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाताओं की उपलब्धता के बावजूद नामांकन के आधार पर दोनों कार्यों को देना सीवीसी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

¹⁵ 19 नवंबर 2013 (संव्यवहारों की तिथि) के लिए यूएसडी = ₹62.31, 18 अक्टूबर 2019 (संव्यवहारों की तिथि) के लिए यूएसडी = ₹71.09 यूएसडी 7,95,000 * ₹62.31 = ₹4.95 करोड़ + यूएसडी 7,95,000*₹71.09 = ₹5.65 करोड़; कुल = ₹4.95 करोड़ + ₹5.65 करोड़ = ₹10.60 करोड़

¹⁶ कार्यालय आदेश संख्या 23/07/07 दिनांक 5 जुलाई 2007 और परिपत्र संख्या 06/07/18 दिनांक 11 जुलाई 2018

¹⁷ i) गैफनी क्लाइन एंड एसोसिएट्स (जीसीए), यूके, ii) रॉबर्टसन (यूके), iii) बायफेज लिमिटेड (यूके) और iv) शूलबर्जर एशिया सर्विसेज

ii) 2013 में मेसर्स डीएंडएम का बजटीय उद्धरण यूएसडी 6,923.01 प्रति क्षेत्र था, जबकि कार्य को 12,000 यूएसडी प्रति क्षेत्र की दर से दिया गया था। यह कार्य 5,076.99 यूएसडी प्रति क्षेत्र¹⁸ की उच्च दर पर दिया गया था और लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में इसका कोई औचित्य दर्ज नहीं पाया गया था। इसी प्रकार, मेसर्स डीएंडएम द्वारा 2019 में प्रति क्षेत्र (यूएसडी 17,187.5) उद्धृत दर नवंबर 2013 (यूएसडी 6,923.01) की अपनी पूर्ण उद्धरण से 2.48 गुना अधिक थी। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में भी इसका विश्लेषण नहीं पाया गया। अंत में, मेसर्स डीएंडएम को प्रति क्षेत्र यूएसडी 14,722.22 की दर से कार्य दिया गया।

iii) चूंकि भंडार अनुमान की प्रक्रिया, किसी भी अन्वेषण और उत्पादन कम्पनी के लिए एक नियमित घटना है और ओवीएल अपने भंडारों की नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा कर रहा है, इसलिए नामांकन के आधार पर संविदा प्रदान करने के लिए कम समय-सीमा का कारण मान्य नहीं है। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धी आधार पर तेल और गैस क्षेत्रों के प्रमाणीकरण कार्य को करने के लिए थर्ड पार्टी को नियुक्त करना उद्योग में सामान्य प्रथा है। उदाहरण के लिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2008 में प्रतिस्पर्धी आधार पर इसी प्रकार के कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों को लगाया था और रूस में इंपीरियल एनर्जी ने 2010 और 2012 में प्रतिस्पर्धी आधार पर इसी प्रकार के कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों को लगाया था।

iv) मेसर्स डीएंडएम और मेसर्स स्पूल दोनों ही निजी संस्थाएं थीं और डेटा संवेदनशीलता और विश्वसनीयता जैसे कारकों में दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों के रूप में कोई आधार नहीं देता। कई वर्षों से बार-बार एक ही संविदाकार को भंडार अनुमान कार्य प्रदान करने से प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और पूर्ववर्ती भंडार आकलन सलाहकारों द्वारा दिए गए भंडार आंकड़ों के पुनर्वैधीकरण में बाधा देता है।

कम्पनी ने नामांकन आधार पर निजी पार्टियों को ₹10.60 करोड़ के कार्य दिए, जिससे सीवीसी के दिशा - निर्देशों की अवहेलना हुई जिसके परिणामस्वरूप निजी पार्टी को अनुचित लाभ हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मार्च 2021) कि:

- सीवीसी के दिशा-निर्देश असाधारण परिस्थितियों में नामांकन पर कार्य देने की अनुमति देते हैं। वर्तमान मामले को, इस प्रकार के असाधारण मामले पर विचार करते हुए नामांकन के आधार पर दिया गया है।

¹⁸ यूएसडी 12,000 - यूएसडी 6,923.01 = यूएसडी 5,076.99

- ओएनजीसी ने अपनी भंडार रिपोर्टिंग को पीआरएमएस 2018 (पेट्रोलियम भंडार प्रबंधन प्रणाली) में स्थानांतरित कर दिया है और ओएनजीसी के लिए यह कार्य मेसर्स डीएंडएम ने किया था। ओवीएल के लिए यह अनिवार्य था कि वह पीआरएमएस 2018 में स्थानांतरित हो जाए जिसके लिए ईसी (अनुमान समिति) से सैद्धांतिक अनुमोदन लिया गया था। इसलिए, पीआरएमएस 2018 में स्थानांतरण की प्रक्रिया के दृष्टिकोण में एकरूपता बनाए रखने के लिए, डीएंडएम को ओवीएल द्वारा एक उपयुक्त विकल्प माना गया था।
- मेसर्स डीएंडएम, कई प्रमुख तेल कंपनियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भंडार लेखापरीक्षक है और कंपनी को यह सुनिश्चित करना है कि स्वीकार्य लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रतिष्ठित कंपनियों को ही इस तरह की संविदा दी जाए। डीएंडएम ने ओएनजीसी/ओवीएल के साथ लंबी अवधि के लिए कार्य किया है क्योंकि भंडार लेखापरीक्षा उन्हें दी गई थी और लेखापरीक्षा में विश्व स्तर पर सामान्य स्वीकार्यता है। खुली निविदा के आमंत्रण से डाटा चोरी और दुरुपयोग हो सकता है।
- 54 चयनित क्षेत्रों के लिए भंडार अनुमान का कार्य 7,95,000 यूएसडी अर्थात् 14,722 यूएसडी प्रति क्षेत्र की कुल लागत पर मेसर्स डीएंडएम को दिया गया था (अक्टूबर 2019)। जबकि मेसर्स एमईसीएल, कोलंबिया के मामले में, 5,87,000 यूएसडी अर्थात् यूएसडी 27,952 प्रति क्षेत्र प्रति वर्ष कुल लागत पर सात क्षेत्रों के भंडार लेखा परीक्षा के लिए तीन वर्षों की संविदा मेसर्स राइडर स्कॉट को दी गई थी। इसलिए, मेसर्स डीएंडएम को वर्तमान संविदा के लिए मूल्य उचित था।

प्रबंधन का उत्तर, इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि सीवीसी, लेखापरीक्षा के संदर्भ और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अलग संदर्भ के लिए स्पष्ट करता (क्रमशः दिसंबर 2020 और मई 2021) है कि सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षक के संगठन ने राय दी है कि ओवीएल द्वारा उल्लेख की गई असाधारण परिस्थितियों जैसे डेटा की संवेदनशीलता, विश्वसनीयता, ओवीएल के साथ पहले से जुड़ी फर्मों आदि इस तरह के कार्य के दौरान आयोग के परिपत्र में प्रदान की गई असाधारण परिस्थितियों की सूची में नहीं दिखाई देते।

इस प्रकार, सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में कार्य को देने से निजी पार्टियों को ₹10.60 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ था।

जून 2021 में मंत्रालय को लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।